"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 मई 2010— वैशाख 24, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती जानकी कटारिया पति स्व. प्रकाशचंद कटारिया, उम्र 40 वर्ष, निवासी डी-383, टैगोर नगर, सेक्टर-5 रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि भूलवश मेरे समस्त दस्तावेजों, रिकार्डो एवं अन्य अभिलेखों में मेरा उपनाम (सरनेम) "कटियारा" लिखा हुआ जो कि गलत है, जिसे सुधार कर मैं अपना उपनाम (सरनेम) "कटारिया" दर्ज एवं अंकित कराना चाहती हूं. इसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती जानकी कटारिया पति स्व. प्रकाशचंद कटारिया के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती जानकी कटियारा	श्रीमती जानकी कटारिया
पति-स्व. प्रकाशचंद कटारिया	पति-स्व. प्रकाशचंद कटारिया
निवासी-डी-383, टैगोरनगर	निवासी-डी-383, टैगोरनगर
सेक्टर-5, रायपुर	सेक्टर-5, रायपुर
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2010

फार्म-4
[नियम देखिए]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

क्रमांक 904/अ. वि. अ./वा-1/09.— आवेदक श्री सिद्धार्थ गौतम राम, शिष्य अघोरेश्वर बाबा भगवान, निवासी पुराना सरकंडा, बिलासपुर, छ. ग. के द्वारा "अघोरेश्वर बाबा भगवान राम चिकित्सा शोध एवं सेवा संस्थान ट्रस्ट" स्थान-शिव घाट के पास पुराना सरकंडा, बिलासपुर तहसील व जिला बिलासपुर छ. ग. को छ. ग लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम और पता	:	अघोरेश्वर बाबा भगवान राम चिकित्सा शोध एवं सेवा संस्थान, स्थान-शिवघाट के पास पुराना सरकंडा, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छ. ग.
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

संतोष कुमार देवांगन,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर

कांकेर, दिनांक 16 अप्रैल 2010

क्रमांक/उपंका/परिसमापन/06-2010/280.—कार्यालयीन पूर्व प्रसारित आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-70(1) के अन्तर्गत एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-7.3/सह./15/2436 रायपुर दिनांक

13-06-01 के द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी समितियां कांकेर (छ. ग.) वर्तमान में पदस्थ श्री टी. एस. कुंजाम सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-चारामा को आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., खैरखेड़ा पं. क्र.-214 तह. चारामा का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

सी. एल. ध्रुव,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम (छ. ग.)

कबीरधाम, दिनांक 27 अप्रैल 2010

क्र./क./उपंक/परि/2010/57.—मॉ बम्लेश्वरी रप-तार परिवहन सहकारी समिति मर्या., सहसपुर लोहारा पंजीयन क्रमांक 272 जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में समिति द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, समिति द्वारा समिति संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारित न करना, उक्त वर्षों में समिति द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास न करना इत्यादि से समिति की अकार्यशीलता प्रदर्शित होने से समिति को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. 391/11-01-2010 व 437/16-02-2010 का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर समयावधि में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था. किन्तु निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी समिति द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे यह स्पष्ट होता है, कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एम के ध्रुव उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कबीरधाम छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 69(2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/05-01-1999 पन्द्रह डी दिनांक 26-07-1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मॉ बम्लेश्वरी रप-तार परिवहन सहकारी समिति मर्या., सहसपुर लोहारा पंजीयन क्रमांक 272 को इस आदेश दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 70(1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री विनोज कुमार कोचे पद स. वि. अ. लोहारा को मॉ बम्लेश्वरी रप-तार परिवहन सहकारी समिति मर्या., सहसपुर लोहारा पंजीयन क्रमांक 272 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से दिनांक 27-04-2010 को जारी किया गया है.

कबीरधाम, दिनांक 27 अप्रैल 2010

क्र./क./उपंक/परि/2010/54.—नागा बैगा नागा बैगी खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या., बोडला पंजीयन क्रमांक 371 जिला कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में समिति द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, समिति द्वारा समिति संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारित न करना, उक्त वर्षों में समिति द्वारा अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास न करना इत्यादि से समिति की अकार्यशीलता प्रदर्शित होने से समिति को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्र. 393/11-01-2010 व 439/16-02-2010 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर समयावधि में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था. किन्तु निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी समिति द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे यह स्पष्ट होता है, कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एम. के. ध्रुव उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कबीरधाम छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 69(2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ/05-01-1999 पन्द्रह डी दिनांक 26-07-1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नागा बैगा नागा बैगी खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या., बोडला पंजीयन क्रमांक 371 को इस आदेश दिनांक से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 70(1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. सी. देवांगन पद स. नि./प्र. स. वि. अ. को नागा बैगा नागा बैगी खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या., बोडला पंजीयन क्रमांक 371 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से दिनांक 27-04-2010 को जारी किया गया है.

एम. के. ध्रुव,
उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2010

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/2010/629.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/ 1281 /बिलासपुर, दिनांक 17-10-05 के तहत मुरूम पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित, रहंगी, पंजीयन क्रमांक 3808 दिनांक 3-10-96 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री के. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 15-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.